भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 257
दिनांक 19.11.2019/28 **कार्तिक**, 1941 (**शक**) **को उत्तर के लिए**

गिरफ्तार करने की शक्ति

†257. **सुश्री महुआ मोइत्राः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(**क**) **क्या सरकार की विभिन्न एजेंसियों यथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, **प्रवर्तन निदेशालय**, **एसएफआईओ**, **आयकर जीएसटी अधिकारी**, **रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आदि को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है**;

(**ख**) **शक्तियों के दुरुपयोग तथा नागरिकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रत्येक एजेंसी में जांचोंपाय क्या है**;

(**ग**) **इन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं और उन गिरफ्तारियों की दोष सिद्धि दर क्या है**; **और**

(**घ**) **क्या इन एजेंसियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग संबंधी कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां**, **तो ऐसे अध्ययन की रिपोर्ट क्या है और यदि नहीं**, **तो शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने पर सरकार का क्या मत है**?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न कानूनों में किए गए प्रावधानों, जिनमें सुरक्षा उपाय अंतर्निहित हैं, के अनुसार गिरफ्तारियां की जाती हैं।

(ग): इस संबंध में आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ): गृह मंत्रालय ने इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं कराया है।

*****